



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 154

दिनांक : 19/9/17

प्रति,

प्राचार्य,
सीताराम जाजू शा. कन्या महाविद्यालय,
नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 700, दिनांक 13.05.2017

उपर्युक्त विषय में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशांसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.09.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें "निर्णय लिया गया कि, सीताराम जाजू शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच में सत्र 2017-18 से एम.एस.डब्ल्यू. उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशांसानुसार उपरोक्त महाविद्यालय को एम.एस.डब्ल्यू. उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एम.एस.डब्ल्यू. - उत्तरार्द्ध	40

- शर्तें :-
1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.09.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
 2. समाज कार्य संबंधित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की जाये।
 3. समाजकार्य विषय में पेपर अनुरूप कम से कम 03 शिक्षक आवश्यक है।
 4. वर्तमान में पाठ्यक्रम प्रभारी मनोविज्ञान विरुद्ध की होने के कारण उचित होगा कि, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर सत्र में वैकल्पिक विषय के चिकित्सा मनोविज्ञान विषय चालाया जाए।
 5. स्वतंत्र खेल मैदान शारीरिक विकास के लिए महाविद्यालय में होना आवश्यक है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02